

इंटरनेशनल हॉर्ससू क्रैब डे

प्रीलिम्स के लिये:

हॉर्ससू केकड़ा

मेन्स के लिये:

पर्यावरण एवं जैव विविधता के संरक्षण में हॉर्ससू क्रैब(केकड़ा) का महत्त्व

चर्चा में क्यों?

चीन के कनिझोउ शहर (Qinzhou City) में ['इंटरनेशनल युनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर'](#) (The International Union for Conservation of Nature- IUCN) के 'हॉर्ससू क्रैब स्पेशलिस्ट ग्रुप' (Horseshoe Crab Specialist Group) की बैठक में 20 जून, 2020 को प्रथम 'इंटरनेशनल हॉर्ससू क्रैब डे' (International Horseshoe Crab Day) के रूप में घोषित किया गया है।

प्रमुख बटु:

- हर वर्ष भारत के झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़ तथा अन्य राज्यों में हॉर्ससू क्रैब (केकड़ा) के माँस एवं इनके कवच की आपूर्ति के लिये ओडिशा में सैकड़ों केकड़ों को मारा जाता है।
- इनके अलावा ऐसा विश्वास है कि इसके कामोत्तेजक गुण के कारण भी इसे मारा जाता है जिस कारण ओडिशा में केकड़े की यह प्रजाति गंभीर खतरे में है।
- हॉर्ससू क्रैब वैश्विक वातावरण एवं जैव विविधता के मध्य एक महत्त्वपूर्ण कड़ी के रूप में अपना सांस्कृतिक महत्त्व रखते हैं।
- दुर्भाग्य से, इस पारस्थितिक लिकि को उन क्षेत्रों में जहाँ हॉर्ससू केकड़ों का जनसंख्या घनत्व कम है, तोड़ा जा रहा है।
- हॉर्ससू पारस्थितिक रूप से बहुत महत्त्वपूर्ण है अपने इस पारस्थितिक कार्य के तहत ये समुद्र तट पर करोड़ों अंडे देते हैं, जो समुद्र के किनारे, मछली और अन्य वन्यजीवों का भोजन है।
- भारत में हॉर्ससू केकड़ों को केंद्रपाड़ा, बालासोर तथा भद्रक जिलों के समुद्र तटीय क्षेत्रों से चुना जाता है और अन्य राज्यों में भेजा जाता है।



हॉर्ससू क्रैब (केकड़ा) डे का महत्त्व:

- ये हॉर्ससू केकड़े डायनासोर के समय से लगभग अपरिवर्तित हैं अर्थात अपने उसी रूप को बनाए हुए हैं अतः ऐसे में ये पारस्थितिक तंत्र के महत्त्वपूर्ण इंजीनियर हैं जो आधुनिक अंतःवर्षिक वातावरण में छोटे जीवों का भक्षण करते हैं।
- 20 जून को अंतरराष्ट्रीय हॉर्ससू केकड़ा दिवस के रूप में घोषित का उद्देश्य इन प्राचीन प्राणियों के लिये लोगों में अधिक से अधिक जागरूकता उत्पन्न करना है ताकि इन्हें संरक्षित करने में मदद मिल सके।

हॉर्सशू क्रैब के संरक्षण हेतु प्रयास:

- हॉर्सशू क्रैब (केकड़ा) के संरक्षण के लिये आवश्यक है कि इनका अवैध शिकार करने वाले किसी भी व्यक्ति/संस्था पर सख्त कार्रवाई की जाए।
- इसके लिये आवश्यकता है कि ओडिशा, बिहार, झारखंड और अन्य राज्य में जहाँ इसकी आपूर्ति की जाती है वहाँ की पुलिस एवं वन्यजीव अधिकारियों के बीच बेहतर, अंतर-राज्यीय समन्वय हो।

हॉर्सशू क्रैब के बारे में:

- वैज्ञानिक नाम (Scientific Name): लमुलिडा (Limulidae)
- फाइलम (Phylum): आर्थ्रोपोडा (Arthropoda)
- घोड़े की नाल के सामान दखिाई देने कारण हॉर्सशू क्रैब (केकड़ा) कहा जाता है।
- हॉर्सशू क्रैब को 9 सितंबर, 2009 में वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की अनुसूची IV में शामिल किया गया था।
- जिसके तहत हॉर्सशू क्रैब को पकड़ना और मारना अपराध है।

स्रोत: डाउन टू अर्थ

PDF Reference URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/international-horseshoe-crab-day>

